न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 106 / 2022 तारीखरजू:– 17/6/22

उनवान:– बिरमा बनाम तेजराम

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
17/6/22	वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन ज़रिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 12.07.2022 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	3221-26 17/6/22
12.7.22	वादी वकील उप०। प्रतिवादी न० 1 लगा० 4 के नोटिस तामील स्वंय व परिवारजन से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है बावजूद सूचना कोई उप० नही। उक्त के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है एंव प्रतिवादी न० 5, 6 पैरोकार सरकार उप०। वास्ते जबाब दिनांक 16.8.22 को पेश हो।	
16.8.22	वादी वकील उप०। प्रतिवादी न० 1 लगा० 4 की ओर से श्री देवेन्द्र शर्मा एड० ने उप० होकर वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आडेश 9 नियम 7 CPC पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। नकल वादी वकील को दिलाई गई। वास्ते जबाब व बहस दिनांक 7.9.22 को पेश हो।	
7.9.22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] जवाब एड० पेश करने दिनांक 6.10.22 को पेश हो।	
6.10.22	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी......जनसुनवाई में पधारे है। पत्रावली गश्तानुसार दिनांक......17.11.22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टो...

दिनांक	फर्द अहकाम
9/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वादी वकील को साक्ष्य वादी पेश करने के लिए आखिरी मौका दिया गया वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 18/8/25 को पेश हो।
18/8/25 Not Pressed dismissed (2)	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित उपस्थित होकर आवेदन पत्र इस बाबत इजहार किया की उभय पक्षकारान अपने मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः दावा बावत घोषणा स्थाई हुक्म इम्तनाई निषेधाज्ञा नोट प्रेस मे खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील होकर नकल के काम पर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:30 IST
Reason: SelfAttested